

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण-2017 की धारा-12 एवं धारा-13 में दिये गये प्राविधानानुसार प्राप्त विकल्प एवं अनुरोध का विवरण।

3-मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

1- सुगम से दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु पात्र अधिकारी-01

सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु पात्र मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (अवरोही क्रम में)

क्र०सं०	नाम सर्वश्री	गृह जनपद	वर्तमान तैनाती स्थल	सुगम क्षेत्र में वर्तमान तैनाती की अवधि	सुगम क्षेत्र में तैनाती की कुल अवधि	विकल्प				अनुरोध	अभ्युक्ति
						1	2	3	4		
1	सुषमा चौधरी	नैनीताल	उधमसिंहनगर	05 वर्ष 06 माह 01 दिन	26 वर्ष 01 माह 21 दिन	1	अल्मोड़ा	6	-	इनके द्वारा अवगत कराया गया है कि वे परिवहन मिनिसट्रीयल कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं। उनके द्वारा अधिनियम* की धारा-17 की उपधारा(2)* के खण्ड घ में दिये प्राविधानानुसार छूट प्रदान करने की व्यवस्था दी गयी है।	दिनांक 13-03-2021 से प्रदेश अध्यक्ष, उत्तराखण्ड परिवहन मिनिसट्रीयल कर्मचारी संघ।
2	रानीखेत	7	-								
3	बागेश्वर	8	-								
4	टिहरी	9	-								
5	पौड़ी	10	-								

दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु पात्र मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (अवरोही क्रम में)

1- दुर्गम से सुगम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु पात्र अधिकारी- 03

क्र०सं०	नाम सर्वश्री	गृह जनपद	वर्तमान तैनाती स्थल	दुर्गम क्षेत्र में वर्तमान तैनाती की अवधि	दुर्गम क्षेत्र में तैनाती की कुल अवधि	विकल्प				अनुरोध	अभ्युक्ति
						1	2	3	4		
1	नरेन्द्र सिंह भण्डारी	चमोली	पौड़ी	39 वर्ष 02 माह 08 दिन	39 वर्ष 02 माह 08 दिन	1	-	6	-	इनके द्वारा अपने पत्र दिनांक 19-05-2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रार्थी पूर्ण रूप से दृष्टि बाधित हैं। उनकी आयु लगभग 59 वर्ष हो गई है। माह अगस्त 2023 में उनकी सेवानिवृत्ति है। उनके द्वारा उन्हें वर्तमान कार्यालय में ही तैनात रखे जाने का अनुरोध	55 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ कार्मिक
2	-	7	-								
3	-	8	-								
4	-	9	-								
5	-	10	-								

(Handwritten signature)

(Handwritten signature and initials)

									किया गया है।	
2	पान सिंह रावत	अल्मोड़ा	पिथौरागढ़	05 वर्ष 08 दिन	06 वर्ष 07 माह 05 दिन	1	हल्द्वानी	6		
						2	रूद्रपुर	7		-
						3	काशीपुर	8		-
						4	-	9		-
						5	-	10		-
3	सुरेखा सपालोक	देहरादून	टिहरी	03 वर्ष 10 माह 19 दिन	03 वर्ष 10 माह 19 दिन	1	देहरादून*	6		
						2	टिहरी	7		-
						3	-	8		-
						4	-	9		-
						5	-	10		-

पात्रता सूची में न आने वाले मुख्य प्रशासनिक अधिकारियों के प्राप्त अनुरोध का विवरण:-

क्र० सं०	अधिकारी का नाम सर्वश्री	गृह जनपद	वर्तमान तैनाती स्थल	वर्तमान स्थल पर तैनाती की अवधि	अनुरोध	अभ्युक्ति
1	मनोज कुमार सनवाल	नैनीताल	सहायक परिवहन टनकपुर संभागीय अधिकारी,	05 वर्ष 07 माह 06 दिन	इनके द्वारा अवगत कराया गया है वे उच्च रक्तचाप व मधुमेह रोग से पीड़ित हैं तथा उनकी सेवानिवृत्ति माह जनवरी 2023 में होनी है उनका दिनांक 01-05-22 को सड़क दुर्घटना में पसली व दाहिने हाथ के कंधे पर फ्रैक्चर होने के कारण हल्द्वानी से उपचार चल रहा है। उनके द्वारा वरिष्ठ कार्मिक एवं अस्वस्थ होने के कारण उनका स्थानान्तरण संभागीय परिवहन कार्यालय, हल्द्वानी में किये जाने का अनुरोध किया गया है।	55 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ कार्मिक
2	दिनेश कुमार वर्मा	बिजनौर	मझौला चैकपोस्ट	05 वर्ष 05 माह 28 दिन	इनके द्वारा अवगत कराया गया है कि संभागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी के पत्र संख्या-3264 दिनांक 30-11-21 द्वारा उन्हें रामनगर में तैनात किया गया है। उनकी आयु 60 वर्ष है। उनकी सेवानिवृत्ति के मात्र 07 माह शेष हैं। उनके निवास स्थान से वर्तमान तैनाती सील की दूरी लगभग 55 किमी० है। उनकी 80 वर्षीय माता जी को चिकित्सक से परामर्श हेतु लाना ले	55 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ कार्मिक

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature] पृ-९

					जाना पड़ता है वे स्वयं भी उच्च रक्तचाप एवं नेत्र रोग से पीड़ित हैं उन्हें अपने निवास सीन से कार्यालय आने एवं जाने में प्रतिदिन लगभग 110 किमी० की दूरी तय करनी पड़ती है। उनके स्वास्थ्य एवं घरेलू परिस्थितियों के दृष्टिगत उनके द्वारा उनका स्थानान्तरण संभागीय परिवहन कार्यालय, हल्द्वानी में किये जाने का अनुरोध किया गया है।	
3	रमेश चंद्र सनवाल	अल्मोड़ा	काशीपुर	08 वर्ष 09 माह 25 दिन	इनके द्वारा अवगत कराया गया है कि उनकी मूल तैनाती टनकपुर में हैं तथा वे काशीपुर कार्यालय में तैनात हैं। मार्च 2023 में उनकी सेवानिवृत्ति है। उनका ज्येष्ठ पुत्र मानसिक रूप से विकसित है। (प्रमाण पत्र संलग्न) उनके द्वारा स्थानांतरण अधिनियम की धारा 13 के खण्ड (5) तथा (6) के प्राविधानान्तर्गत संभागीय परिवहन कार्यालय हल्द्वानी में स्थानांतरण किये जाने का अनुरोध किया गया है।	55 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ कार्मिक
4	संध्या मिश्रा	कानपुर	ऋषिकेश	05 वर्ष 05 माह 24 दिन	इनके द्वारा अवगत कराया गया है कि वे 55 वर्ष से अधिक आयु की वरिष्ठ व विधवा कार्मिक हैं एवं फरवरी 2024 में उनकी सेवानिवृत्ति है। उनके द्वारा स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं के दृष्टिगत अधिनियम की धारा 13(6) के अन्तर्गत विचार किये जाने का अनुरोध किया गया है।	55 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ कार्मिक

And

Sanjiv Singh *San* *Page-10*